भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1584

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में कोयला गैसीकरण परियोजनाएं

1584. श्री श्रीभरत मथुकुमिल्लि:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में अनुमोदित 8,500 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन योजना में से आंध्र प्रदेश में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितना विशिष्ट धनराशि का आवंटन निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में किन्हीं विशिष्ट स्थलों अथवा स्थानों की पहचान की है और यदि हां, तो इन स्थानों का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत उनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा प्रमुख उपलब्धियों और इनके पूरा होने की संभावित तिथि का ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा/सामना होने की संभावना है और इन चुनौतियों को प्रभावी रूप से कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में स्थानीय उद्योगों और हितधारकों के साथ सहयोग करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार ने पीएसयू तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करने के लिए

8500 करोड़ रू. की एक प्रोत्साहन स्कीम हाल ही में अनुमोदित किया है। अनुमोदित स्कीम में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत परियोजनाएं शामिल हैं।

- **श्रेणी-I,** 4050 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ, यह सरकारी पीएसयू के लिए है। वे वित्त पोषण सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा तीन चयनित परियोजनाओं को अधिकतम 1350 करोड़ रुपये अथवा परियोजना लागत का 15%, जो भी वीजीएफ के रुप में कम हो, का अनुदान प्राप्त होगा।

- **श्रेणी II,** 3850 करोड़ रुपए के साथ, यह निजी क्षेत्र और सरकारी पीएसयू दोनों के लिए उपलब्ध है जिसमें अधिकतम 1000 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत का 15%, जो भी वीजीएफ के रूप में कम हो, का अनुदान प्राप्त होगा।

- **श्रेणी III,** 600 करोड़ रु. के साथ, यह प्रदर्शन अथवा छोटे-पैमाने की परियोजनाओं के लिए है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम परिव्यय 100 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत का 15%, जो भी वीजीएफ के रूप में कम हो, का अनुदान प्राप्त होगा।

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत निधियां परियोजनाओं को दी जानी होती हैं राज्यों को नहीं। इस प्रकार, आन्ध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) से (ड.) : आज की तारीख तक आंध्र प्रदेश राज्य में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र, स्थानीय उद्योगों अथवा स्टेकहोल्डरों से कोई विशिष्ट स्थल अथवा स्थान संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हैदराबाद सहित देश के विभिन्न भागों में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किए गए हैं।

*****